

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
11.07.2025

मिसल नम्बर
54/2016 प्रा.पत्र/2016

तारीख दायरा
03.08.2016

डॉ.मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री नवीन कुमार जैन पुत्र स्व. श्री इन्द्र मल एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स नवीन किराणा स्टोर
मेन मार्केट लावा तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 12 तेजाजी के चौक के पास
लावा तह. मालपुरा जिला टोंक राज.।
- 2-मैसर्स नवीन किराणा स्टोर मेन मार्केट लावा तह. मालपुरा जिला टोंक
- 3-श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा
टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 42 आदिनाथ मन्दिर के
पास मालपुरा जिला टोंक
- 4-मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
- 5-श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57
बगराना आगरा रोड जयपुर राज. निवासी 164 हुडको आवास योजना सूरजपोल जयपुर राज.
- 6-मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57 बगराना आगरा रोड जयपुर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

उपरिस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 11/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 29.02.2016 को समय दोपहर 03:39 पी.एम. पर मैसर्स नवीन किराणा स्टोर मेन मार्केट
लावा तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की
हैसियत से श्री नवीन कुमार जैन पुत्र स्व. श्री इन्द्र मल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स नवीन किराणा
स्टोर मेन मार्केट लावा तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए
मिला। श्री नवीन कुमार जैन पुत्र स्व. श्री इन्द्र मल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया
तथा पूछने पर श्री नवीन कुमार जैन पुत्र स्व. श्री इन्द्र मल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक
होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना
जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम
जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले नमकीन आदि व
अन्य खाद्य पदार्थ के साथ वेजिटेबल फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Vegitale Fat
Kitchen Special Original pack) 898 ग्राम के 5 नग, 449 ग्राम के 9 नग मूल पैक



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Original pack) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस वेजिटेबल फ़ैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Vegitale Fat kohi-Noor Kitchen Special Original pack) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया वेजिटेबल फ़ैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Vegitale Fat kohi-Noor Kitchen Special Original pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन साकरिया)
न्याय निबंधन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक